रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122024-259502 CG-DL-E-18122024-259502

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5068]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2024/अग्रहायण 27, 1946

No. 5068]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2024/AGRAHAYANA 27, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2024

आय - कर

का. आ. 5476(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसके बाद इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 197क की उप-धारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अधिसूचित करती है कि यथा उक्त अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ख) में संदर्भित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान पर उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के तहत आयकर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[सं. 128/2024/फा. सं. 275/77/2024-आईटी(बी)]

रूबल सिंह, उप सचिव

8183 GI/2024 (1)

## MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Revenue)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2024

### **INCOME-TAX**

**S.O.** 5476(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1F) of section 197A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies that no deduction of income-tax shall be made under Chapter XVII of the said Act on any payment received by the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises as referred to in clause (46B) of section 10 of the said Act.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 128/2024/F.No. 275/77/2024-IT(B)]

RUBAL SINGH, Dy. Secy.